संख्या 27/17/2011-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतिय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 20 जनवरी, 2012

20 JAN 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: श्री प्रेम कुमार गोदियाल, कनिष्ठ अभियंता, सिंचाई विभाग के प्रत्यावेदन पर विचार ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 17-10-2011 को आयोजित बैठक में उत्तराखंड राज्य आवंटन हेतु श्री प्रेम कुमार गोदियाल, कनिष्ठ अभियंता, सिचाई विभाग के प्रत्यावेदन पर विचार किया गया । विभाग द्वारा बेठक में यह अवगत कराया गया की दिनांक 28-05-1986 को जारी वरिष्ठता सूची के अनुसार श्री प्रेम कुमार गोदियाल, कनिष्ठ अभियंता से निम्नलिखित तीन अभियंता कनिष्ठ हैं :-

क्रमांक	कार्मिक का नाम	वरिष्ठता सूची का क्रमांक
1.	श्री प्रीतम सिंह पाल	4633
2.	श्री किशन लाल सैनी	4681
3.	श्री राजेश कुमार	4990

2. यह देखा गया कि अवर अभियंता की यही वरिष्ठता सूची प्रचलित है और इसमे कोई बदलाव नहीं हुआ है तथा श्री प्रेम कुमार गोदियाल का नाम उसी वरिष्ठता सूची में क्रमांक 4592 पर अंकित है । समिति को यह बताया गया कि श्री प्रेम कुमार गोदियाल उत्तराखंड के विकल्पधारी है और इनमें से दो कनिष्ठ अभियंता यथा श्री किशन लाल सैनी तथा श्री राजेश कुमार का अंतिम आवंटन विकल्पधारी के रूप में भारत सरकार के आदेश दिनांक 11-05-2006 द्वारा उत्तराखंड के लिए किया जा चुका है । अतः समिति द्वारा श्री प्रेम कुमार गोदियाल के प्रत्यावेदन को स्वीकार करते हुए उन्हे विकल्प के आधार पर उत्तराखंड राज्य आवंटित कीये जाने की संस्तुति की गयी ।

—2-

3. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री प्रेम कुमार गोदियाल, अवर अभियंता का अंतिम आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए संशोधित किया जाता है । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री राजेन्द्र मोहन श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 8-ए, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. अपर सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहारादून ।

Deptt. of Personnel &
प्राप्ति और निर्गम अनु.
Receipt & Issued Section
20 JAN 2012
जारी किया/ISSUED
रु०